

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

BOI



असाधारण आम बैठक

मंगलवार, 3 दिसम्बर, 2013

प्रातः 11.00 बजे

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Tuesday, 3rd December, 2013

11.00 A.M.

प्रधान कार्यालय:

स्टार हाउस, सी-5 "जी" ब्लॉक,
बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051.



HEAD OFFICE:

STAR HOUSE, C 5 ,G BLOCK
BANDRA KURLA COMPLEX,
BANDRA (EAST),
MUMBAI - 400 051

विषय सूची / CONTENTS

क्र.सं. Sr.No.	विषय Subject	पृष्ठ सं. Page No.
1.	सूचना Notice	1 9
2.	टिप्पणियाँ..... Notes.....	4 12
3.	व्याख्यात्मक विवरण Explanatory Statement	5 13
4.	प्रॉक्सी फार्म..... Proxy Form	17 18
5.	उपस्थिति पर्ची..... Attendance Slip	19 20

सूचना

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक मंगलवार, 3 दिसंबर, 2013 को प्रातः 11.00 बजे बैंक ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 में निम्नलिखित विशेष कारोबार करने के लिए की जाएगी:

1. एक विशेष संकल्प के रूप में, विचार करने और यदि उपयुक्त माना गया तो निम्नलिखित संकल्प को आशोधनों के साथ अथवा बिना पारित करने हेतु:

“यह संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एंड बैठक) विनियमन, 2007 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदनों, सम्मतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यक्षीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जाए और सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स) 2009 (सेबी-आईसीडीआर विनियमन) एवं समय-समय पर आरबीआई एवं अन्य संबन्धित प्राधिकरणों द्वारा विहित विनियमों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक बोर्ड (इसके पश्चात इसे बोर्ड कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर कुल ₹ 1000 करोड़ तक सेबी-आईसीडीआर के विनियमन 76(1) के अनुसार यथा निर्धारित, ₹ 205.70 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम पर अर्थात् ₹ 215.70 के निर्गम मूल्य (इश्यू प्राइज) पर नकद हेतु ₹ 10/- प्रत्येक (₹ दस केवल) के 4,63,60,686 इक्विटी शेयर्स सृजित, ऑफर, इश्यू और आबंटित करने हेतु एतद्वारा सहमति प्रदान की जाती है।

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य (इश्यू प्राइज) के निर्धारण की संबंधित तारीख 1 नवंबर, 2013 है।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे प्राधिकरणों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सम्मतियां, अनुमतियां और स्वीकृतियां प्रदान करते/देते समय पर अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर्स बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर के साथ समरूप रैंक के होंगे और उन सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किए गए, लाभांश, यदि कोई हो, के लिए हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय पर प्रवृत्त हों।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी सवाल, दिक्कत अथवा संदेह का निपटान करे जो इक्विटी शेयरों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य मामले और चीजें करे जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है। बोर्ड समाप्ति तक अधिकृत है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दिया हुआ है।”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इस बात के लिए प्राधिकृत हो और उसे एतद्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह उपरोक्त संकल्प को लागू करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक गण और बैंक के ऐसे किसी अन्य अधिकारी को, जैसा वह उचित समझे, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित कर दे।”

2. एक विशेष संकल्प के रूप में, विचार करने और यदि उपयुक्त माना गया तो निम्नलिखित संकल्प को आशोधनों के साथ या उसके बिना, पारित करने हेतु :

“यह संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) और बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2007 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (“आरबीआई”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (सेबी) के और/या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी के अध्यक्षीन, यदि कोई हो और उनके अनुमोदन प्रदान करने हेतु ऐसी विनिर्धारित शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यक्षीन और जो बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल को स्वीकार्य हो और सेबी (पूंजी तथा प्रबटन आवश्यकताओं का निर्गम) विनियमन 2009, सेबी (आईसीडीआर विनियमन) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 एवं सभी लागू नियमों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक सेबी अधिसूचना/परिपत्र एवं स्पष्टीकरण, तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा विनिर्धारित विनियमों के अध्यक्षीन समय-समय पर स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्ध शेयर करार के अध्यक्षीन, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, बैंक के शेयर धारकों की सहमति से, बैंक के निदेशकों के बोर्ड (जिसे इसके बाद ‘बोर्ड’ कहा जाएगा जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की जाएगी ऐसी समिति शामिल है)। वे ऑफर दस्तावेज़/ प्रॉस्पेक्ट्स या किसी ऐसे अन्य दस्तावेज़ द्वारा, भारत या विदेश में, प्रत्येक ₹ 10 के अंकित मूल्य पर, लागू नियमों के अनुसार निर्धारित प्रीमियम सहित निर्गम मूल्य पर, 5 करोड़ तक के इक्विटी शेयर, इस प्रकार प्रस्तावित, निर्गमित और आबंटित (फर्म आबंटन पर आरक्षण हेतु प्रावधान सहित और/या निर्गम के ऐसे भाग के प्रतिस्पर्धात्मक आधार और उस समय लागू नियम द्वारा जैसा अनुमत हो ऐसे वर्ग के व्यक्तियों के लिए) करें कि केन्द्र सरकार के पास हमेशा बैंक के कम-से-कम 51% चुकता इक्विटी पूंजी है, चाहे वह बाज़ार मूल्य के छूट पर या प्रीमियम पर, एक या अधिक हिस्से में, जिनमें एक या अधिक सदस्य, बैंक के कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई), कंपनियां, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाएं, सोसाइटियां, न्यास, रीसर्व संगठन, पात्र संस्थागत निवेशक (एफआईआई), बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूचुअल फण्ड, वेन्चर कैपिटल फण्ड, वित्तीय संस्थाएं या अन्य निकाय, प्राधिकारी या उपरोक्त के किसी संयोग में, जैसा बैंक द्वारा उचित माना जाए: बैंक के इक्विटी शेयरों में निवेश करने हेतु पात्र हैं, शामिल हैं।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि ऐसा निर्गमन, प्रस्ताव या आबंटन, पात्र संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर) या ऐसे किसी अन्य निर्गमन के माध्यम से होगा जैसा लागू नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है, जिसमें ऐसे ओवर अलॉटमेंट विकल्प सहित या उसके बिना कि ऐसा प्रस्ताव, निर्गमन, प्लेसमेंट और आबंटन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी तथा प्रकटन आवश्यकताओं का निर्गम) विनियमन, 2009 (आईसीडीआर विनियमन) और आरबीआई, सेबी तथा यथा लागू किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार और बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक पर जैसा वह उचित माने इस प्रकार एवं ऐसे निबंधन एवं शर्त शामिल है।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को इस प्रकार ऐसे मूल्य या मूल्यों पर निर्णय लेने का प्राधिकारी होगा और जहां आवश्यक होगा अग्रणी प्रबंधकों और या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों या अन्यथा परामर्श से सभी निबंधनों एवं शर्तों पर जैसा बोर्ड, अपने पूर्ण विवेक से आईसीडीआर विनियमनों, अन्य विनियमन और किसी या सभी लागू कानून, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशकों को ऐसी प्रतिभूतियां, ऐसे मूल्य पर, जिसका निर्धारण आईसीडीआर विनियमनों के संगत प्रावधानों के अनुसार किया गया है, जारी करने हेतु निर्णय ले, चाहे ऐसे निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों या नहीं।”

“यह संकल्प पारित किया जाता है कि संगत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीबद्ध शेयर करार के प्रावधानों, बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमन, 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में और सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) एवं यथा अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारियों जिन्हें इसके पश्चात “उचित प्राधिकारी” कहा जाएगा के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और या मंजूरी के अध्यक्षीन और ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमोदन और/या मंजूरी प्रदान करते वक्त इनमें से किसी एक द्वारा निर्धारित ऐसी शर्त के अध्यक्षीन, बोर्ड, अपने पूर्ण विवेक पर, समय-समय पर एक या अधिक भागों में, इक्विटी शेयर या वारंट से भिन्न कोई प्रतिभूति, इस प्रकार निर्गमित, प्रस्तावित या आबंटित करे कि हर समय केन्द्र सरकार के पास बैंक की इक्विटी पूंजी का कम से कम 51% हो, आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के अंतर्गत जैसा प्रावधान किया गया है पात्र संस्थागत प्लेसमेंट के उपरांत किसी दस्तावेज़ और/या किसी अन्य दस्तावेज़/राइटिंग्स/परिपत्र/ज्ञापन के माध्यम से और इस प्रकार एवं ऐसे मूल्य, शर्त और निबंधन पर जैसा आई सी डी आर विनियमनों के अनुसरण में या विधि के किसी अन्य प्रावधान जो उस समय प्रचलित हो के अनुसरण में, बशर्ते इस प्रकार निर्गमित इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य, आईसीडीआर प्रावधानों के संगत प्रावधानों के अनुसरण में परिकलित मूल्य से कम नहीं होगा।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के उपरांत पात्र संस्थागत प्लेसमेंट (क्यू आईपी) के मामले में प्रतिभूतियों का आबंटन केवल आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के अर्थ के अंतर्गत क्यूआईबी को किया जाए। ऐसी प्रतिभूतियां पूर्ण प्रदत्त हों और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तारीख से 12 महीनों के अंतर्गत किया जाए।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि क्यूआईपी निर्गमन के मामले में प्रतिभूतियों के फ्लोर मूल्य के निर्धारण हेतु संगत तारीख, सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अनुरूप होगा।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी आशोधन को स्वीकार करे जैसा अपेक्षित हो या जीओआई/आरबीआई/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य प्राधिकारियों द्वारा बोर्ड द्वारा सहमतानुसार उनके निर्गम, आबंटन और सूचीकरण को उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति और मंजूरी प्रदान करते वक्त अधिरोपित किया गया हो।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयरों का निर्गम एवं आबंटन, यथा लागू विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत परंतु, अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमाओं के अंतर्गत, आरबीआई के अनुमोदन की शर्त के अधीन होगा।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि निर्गमित किए जाने वाले कथित नए इक्विटी शेयर, बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैंडकें) विनियमन, 2007 यथा संशोधित के अधीन होंगे और लाभांश यदि कोई, बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ समरूपी श्रेणी में होंगे।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इक्विटी शेयरों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी करने के उद्देश्य से बोर्ड को अधिकार होगा और एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह पब्लिक ऑफ़र की शर्तों का निर्धारण करे, जिसमें निवेशकों का वह वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जा सकती हैं, हरेक भाग में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे और सारे ऐसे कार्य, विलेख, मामले और विषय करे और ऐसे सभी विलेख, दस्तावेज़ और करार निष्पादित करें जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित या वांछनीय समझे और पब्लिक ऑफ़र निर्गम, आबंटन व निर्गम की आगम राशि के उपयोग के बारे में आनेवाले सवालों, मुश्किलों या संदेहों का निपटान करने, निबंधनों एवं शर्तों में सदस्यों से आगे की अनुमोदन लेने की आवश्यकता के बिना ऐसे आशोधन, परिवर्तन, हेरफेर, फेरबदल, घट, जोड़ आदि करने, जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से बैंक के हित में उचित एवं सही समझे और इस संकल्प द्वारा बैंक एवं बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जाए।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को अधिकार है और एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है वह किसी बुक रनर, अग्रणी प्रबंधक, बैंकर, हामीदार, डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार, लेखापरीक्षक और इक्विटी/अधिमानी शेयर/प्रतिभूतियां ऑफ़र करने से संबंधित सभी ऐसी एजेन्सियों के साथ सभी ऐसी व्यवस्थाओं का निष्पादन करे और सभी ऐसी संस्थाओं एवं एजेन्सियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति करे और ऐसी एजेन्सियों के साथ सभी ऐसी व्यवस्थाओं को निष्पादित करे।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड, अग्रणी प्रबंधक, अन्डर राइटर, सलाहकार और/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों की सलाह से अब और एतद्वा इश्यू(यों) के प्रकार और शर्त निर्धारण के लिए प्राधिकृत है जिसमें शेयर आबंटित करने के लिए निवेशको के वर्ग, प्रत्येक भाग में आबंटित होने वाले शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि हो) अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम रकम, रिकार्ड तारीख अथवा बुक क्लोजर तय करना और संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों, भारत और/अथवा विदेश में एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जाना शामिल है, जैसाकि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक में उचित समझे।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों में से यदि कोई अभिदत्त नहीं है तो बोर्ड द्वारा जैसा उचित समझा जाए और विधि द्वारा अनुमत के अनुसार बोर्ड के पूर्ण विवेक पर उसे निपटाया जा सकता है।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड, अब और इसके द्वारा ऐसे सभी व्यवहारों, कार्यों, मामलों और बातों के लिए प्राधिकृत है जो उसके संपूर्ण विवेकाधिकार में उचित, सही और वांछनीय समझे जाए और शेयर/प्रतिभूति के निर्गम से संबंधित उठे किसी प्रश्न, असुविधा अथवा संदेह को निपटाने और आगे भी ऐसे सभी व्यवहारों, कार्यों, मामलों और बातों को करने, जैसा भी आवश्यक

वांछनीय अथवा उचित हो सभी दस्तावेज और लेखन को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने, जैसा कि संपूर्ण विवेकाधिकार में उचित, सही अथवा वांछनीय हो जिसमें शेयरधारकों से आगे अनुमोदन अथवा सहमति लेने की आवश्यकता न हो अथवा इसके लिए अधिकृत हो और इस प्रयोजन हेतु शेयरधारकों ने संकल्प के प्राधिकार से स्पष्ट रूप से इसके लिए अपना अनुमोदन दिया हो।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को इसके द्वारा प्रदत्त सभी या किसी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक/(कों) को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लेखित संकल्पों को पारित करने हेतु संस्तुत करते हैं।

बैंक के निदेशकगण उपरोक्त संकल्प (पों) से सम्बद्ध या हितबद्ध नहीं हैं, वे उसी सीमा तक सम्बद्ध या हितबद्ध हैं जिस सीमा तक बैंक में उनकी शेयरधारिता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता.

स्थान : मुंबई

दिनांक : 31.10.2013

(श्रीमती वी.आर. अय्यर)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

टिप्पणियां

1. बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार शेयरधारक स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान के लिए नियुक्त कर सकता है तथा ऐसे परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। किन्तु, ऐसे नियुक्त किए गए परोक्षी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा। वैध एवं प्रभावी होने के लिए परोक्षी फार्म वृहस्पतिवार 28 नवंबर, 2013 को बैंक के कार्य की समाप्ति 4.30 बजे अपराह्न तक बैंक के प्रधान कार्यालय में अवश्य ही प्राप्त हो जाने चाहिए।
2. किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम जो बैंक के शेयरधारक हैं के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति, उस बैठक जिसमें वह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति को बैंक के प्रधान कार्यालय में वृहस्पतिवार 28 नवंबर, 2013 को बैंक के कार्य समय समाप्ति अपराह्न 4.30 बजे तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो।
3. शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें। शेयरधारक के परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची पर “परोक्षी” या “प्राधिकृत प्रतिनिधि” जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।
4. व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
5. शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयरों के अंतरण और शिकायत निवारण के लिए वे बैंक या रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स शेयर प्रो सर्विसेज (इंडिया) प्रा.लि. को निम्नलिखित पते पर लिखें:

कंपनी सचिव

बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय,

स्टार हाउस, सी-5, “जी” ब्लॉक,

आठवां तल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

फोन - 66684444

ई-मेल : Headoffice.share@bankofindia.co.in

Website: www.bankofindia.co.in

बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट्स :

मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेज (इंडिया) प्रा.लि.

यूनिट : बैंक ऑफ इंडिया,

13 एबी समहिता वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स,

निकट अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज लेन,

साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 072.

टेलीफोन: 22-67720300 / 67720400

फैक्स : 22-28591568 ई मेल: boi@shareproservices.com

व्याख्यात्मक विवरणपत्र

अध्याय VII (सेबी-आईसीडीआर विनियमन) के अनुसार किए जाने के लिए यथा अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरणपत्र और प्रकटन

मद संख्या. 1

1. बैंक, बैंकिंग व्यवसाय एवं इससे संबंधित गतिविधियों का कारोबार करता है। वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी, ₹ 3000 करोड़ है और आज की तिथि में बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 595.90 करोड़ है।
2. वर्तमान में हमारे बैंक में भारत सरकार की शेयर धारिता ₹ 382.01 करोड़ है, जो बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी का 64.11% है। 30 सितंबर, 2013 को पूंजीगत निधि से जोखिम भारित आस्तियां निम्नानुसार हैं :

विवरण	राशि (₹ करोड़ों में)	पूंजीगत निधि से जोखिम भारित आस्तियों का % बेसल III
जोखिम भारित आस्तियां	3,02,254	--
कामन इक्विटी पूंजी	21,625	7.15%
टियर-I पूंजी	23,438	7.75%
टियर -II पूंजी	9,126	3.02%
कुल पूंजी	32,564	10.77%

3. बैंक पिछले कई वर्षों से 19% की औसत वृद्धि दर पर तीव्र गति से विकास कर रहा है। लंबी अवधि के संसाधन जुटाने एवं सामान्य उधार उद्देश्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराने के माध्यम से कारोबार विस्तार करने हेतु निधियों की वृद्धिशील आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जैसाकि निदेशक मण्डल विनिश्चित करे, जो समय-समय पर यथा संशोधित ("सेबी आईसीडीआर विनियमन") भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2009 के अनुसार, इक्विटी शेयरों के अधिमानी निर्गम के माध्यम से, बैंक ने निधियां जुटाने का प्रस्ताव किया।
4. वर्तमान संकल्प का पारित किया जाना इसलिए प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मंडल उपरोक्त अधिमानी निर्गम एवं आबंटन कर सके।
5. **प्रस्तावित अधिमानी इश्यू के उद्देश्य :**
पूंजी पर्याप्तता से संबंधित बासेल (II एवं III) अपेक्षाओं के अनुपालन के उद्देश्य से, पूंजी उठाने की सतत् आवश्यकता रहती है। सरकार के स्वामित्व की वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए बैंकों में अतिरिक्त इक्विटी पूंजी लगाने का भारत सरकार का प्रस्ताव है। इस प्रकार अर्जित पूंजी का प्रयोग, बैंकों की पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने और बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
6. **प्रस्ताव के अभिदान के लिए इश्यू के प्रवर्तकों / निदेशकों / मुख्य प्रबंधन व्यक्तियों का प्रस्ताव:**
बैंक के प्रवर्तक अर्थात भारत सरकार के अतिरिक्त कोई भी निदेशक अथवा मुख्य प्रबंधन व्यक्ति प्रस्तावित इक्विटी शेयर नहीं खरीदना चाहता है।

7. प्रस्तावित अधिमानी प्रस्ताव के पूर्व और पश्चात शेयर होल्डिंग पैटर्न:

क्रमांक	शेयरहोल्डर्स के नाम	शेयर की संख्यानुसार प्री-अलॉटमेंट यथा (30 अक्टूबर, 2013 को)	प्री-अलॉटमेंट में प्रदत्त पूंजी का %	शेयरों की संख्यानुसार पोस्ट अलॉटमेंट (अनुमानत)	पोस्ट अलॉटमेंट प्रदत्त पूंजी का %
1.	प्रवर्तक ग्रुप भारत के राष्ट्रपति	38,20,06,827	64.11	42,83,67,513	66.70
2.	पब्लिक	21,38,95,500	35.89	21,38,95,500	33.30
	कुल	59,59,02,327	100.00	64,22,63,013	100.00

8. समयावधि जिसके भीतर यह अधिमानी इश्यू पूर्ण किया जाएगा:

बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमन में निर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर इश्यू प्रक्रिया पूरा करने का प्रयास करेगा।

9. इश्यू पूर्व और पश्चात भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता निम्नानुसार है:-

भारत के राष्ट्रपति	इक्विटी शेयर की सं.	पूंजी का प्रतिशत
इश्यू - पूर्व	38,20,05,827	64.11
इश्यू - पश्चात	42,83,67,513	66.70

(क) भारत सरकार ने उनके पत्र दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 के तहत बैंक में भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) के पक्ष में अधिमानी इक्विटी के रूप में ₹ 1000 करोड़ (₹ एक हजार करोड़ केवल) तक पूंजी डालने की मंशा सूचित की है।

(ख) बैंक के प्रवर्तक के हैसियत से भारत सरकार का बैंक के ऊपर नियंत्रण जारी रहेगा तथा प्रस्तावित अधिमानी आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक के प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

10. प्रस्तावित अधिमानी निर्गम (इश्यू) का मूल्य निर्धारण

निर्गम का मूल्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VII में उल्लिखित अधिमानी निर्गम(इश्यू) हेतु यथा लागू तथा अद्यतन संशोधित विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

11. सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्रमाणन:

मेसर्स आइसैक एण्ड सुरेश सनदी लेखाकार, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक ने यह प्रमाणित किया है कि शेयरों का निर्गम सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अनुसार किया जा रहा है। उपर्युक्त प्रमाणपत्र की प्रति 03 दिसंबर, 2013 को बैंक की असाधारण आम बैठक में उपलब्ध कराई जाएगी।

12. लॉक-इन अवधि:

(क) अधिमानी इश्यू हेतु सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवर्तकों अर्थात भारत सरकार को अधिमानी आधार पर जारी किए जाने हेतु प्रस्तावित शेयर्स, आबंटन की तिथि से तीन वर्ष की अवरुद्धता (लोक ईन) अवधि के अधीन होंगे।

(ख) भारत सरकार की संपूर्ण पूर्व-अधिमानी धारिता एक अवधि के लिए अवरुद्ध (लोक ईन) होगी जो संबद्ध तिथि से प्रारंभ होकर, स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दिए गए ट्रेडिंग के अनुमोदन की तिथि से छह महीने के लिए अवरुद्ध होगी।

13. अनुपालन:

- (क) स्टॉक एक्सचेंजों सहित, जहां बैंक के इक्विटी शेयर्स सूचीबद्ध हैं, सूचीकरण करार में निर्दिष्ट इक्विटी शेयरों के निरंतर सूचीकरण की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है।
- (ख) भारत सरकार ने संबद्ध तिथि के पूर्ववर्ती छह महीने के दौरान बैंक का कोई भी इक्विटी शेयर नहीं बेचा है।
- (ग) भारत में विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों सहित, जहां बैंक के इक्विटी शेयर्स सूचीबद्ध हैं, बैंक द्वारा निष्पादित सूचीकरण करार के खंड 23 में अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था है कि जब अतिरिक्त शेयर्स के आबंटन द्वारा बैंक की निर्गमित पूंजी में वृद्धि की जानी प्रस्तावित हो, ऐसे शेयर्स, तब तक सबसे पहले बैंक के वर्तमान शेयरधारकों को बैंक में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान हेतु प्रस्तावित किए जाएंगे, जब तक कि साधारण सभा में शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया गया हो। पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर आबंटित करने हेतु यह प्रस्तावित किया गया है, जो बैंक के वर्तमान शेयर धारकों को यथानुपात के अलावा हैं, उक्त प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव सेबी-आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 72 के अंतर्गत भी अनिवार्य है।

14. वचन:

- (क) बैंक वचन देता है कि सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ भी करने की आवश्यकता है, इक्विटी शेयर के कीमत की पुनः गणना करेगा।
- (ख) बैंक वचन देता है कि कीमत के पुनः गणना के कारण देय रकम का इन विनियमन में निर्दिष्ट समय के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो आबंटिती द्वारा रकम का भुगतान न किए जाने तक यह निर्दिष्ट प्रतिभूति की अवरुद्ध अवधि जारी रहेगी।

आपके निदेशक नोटिस के मद सं 1 में दिए गए विशेष संकल्प की संस्तुति करते हैं।

बैंक के कोई भी निदेशकगण इस नोटिस के संकल्प (पों) में उसी सीमा तक संबंधित या हितबद्ध माने जाएंगे जिस सीमा तक इस बैंक में उनकी शेयरधारिता है।

मद संख्या 2:

1. मद संख्या 2 का संकल्प पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद अथवा क्वालिफाइड इंडिट्यूशनल प्लैसमेण्ट के जरिए और/अथवा प्राइवेट प्लैसमेण्ट के आधार पर बैंक को इक्विटी शेयर जारी और आबंटित करने हेतु एनेबल करता है। निर्गम से प्राप्त राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता की जरूरतों को पूरा करने में बैंक को सक्षम बनाएगा।
2. इसके अतिरिक्त यह संकल्प निदेशक बोर्ड को आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII में परिभाषित क्वालिफाइड इंडिट्यूशनल बायर के साथ क्वालिफाइड इंडिट्यूशनल प्लैसमेण्ट लेने हेतु अधिकार देता है। निदेशक बोर्ड अपने विवेकाधिकार से बैंक के लिए निधि उठाने के लिए शेयरधारकों से नया अनुमोदन लिए बिना सेबी-आईसीडीआर विनियमन के तहत निर्धारित इस प्रक्रिया को अपना सकता है। आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के अनुसार क्यूआईपी इश्यू के मामले में क्यूआईपी के आधार पर प्रतिभूतियां जारी करने हेतु “संबद्ध तारीख” से पहले दो सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में दिए गए शेयरों के अधिकतम और न्यूनतम बंद होने के मूल्य का साप्ताहिक औसत मूल्य से अधिक मूल्य पर ही किया जा सकता है।

“संबद्ध तारीख” से तात्पर्य है उस बैठक की तारीख जिसमें बैंक के बोर्ड अथवा समिति ने क्यूआईपी इश्यू खोलने का निर्णय लिया।

3. ऑफर की विस्तृत शर्तों और निबंधन का निर्धारण वर्तमान बाजार की स्थिति और अन्य विनियामक आवश्यकताओं पर विचार करते हुए सलाहकार, अग्रणी प्रबंधक और बीमाकर्ता और ऐसे अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों, जैसी भी जरूरत हो, के परामर्श से किया जाएगा।

चूंकि ऑफर का मूल्य परवर्ती स्तर पर ही तय किया जा सकता है अतः जारी होने वाले शेयर के मूल्य के संबंध में कहा नहीं जा सकता है। तथापि, यह समय-समय पर संशोधित आईसीडी आर विनियमन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियमन 2007 के प्रावधानों अथवा आवश्यकता अनुसार अथवा लागू किसी अन्य दिशानिर्देशों/विनियमों/मंजूरी के अनुसार होगा।

4. उपरोक्त कारणों से इश्यू के शर्तों को अंतिम रूप देने हेतु बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार देने के लिए एक समर्थकारी संकल्प प्रस्तावित है।
5. जारी किए जा रहे इक्विटी शेयर, लाभांश सहित बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के, सभी संबंध में समरूप होगी।
6. इस उद्देश्य से बैंक को एक विशेष संकल्प के जरिए सभी शेयरधारकों की सहमति लेने की आवश्यकता है।

आपके निदेशक नोटिस के मद सं 1 में दिए गए संकल्प की संस्तुति करते हैं।

बैंक के कोई भी निदेशकगण इस नोटिस के संकल्प (पों) में उसी सीमा तक संबंधित या हितबद्ध माने जाएंगे जिस सीमा तक इस बैंक में उनकी शेयरधारिता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता.

स्थान : मुंबई
दिनांक : 31.10.2013

(श्रीमती वी.आर. अय्यर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Bank of India will be held on **Tuesday, the 3rd December, 2013 at 11.00 AM at Bank of India Auditorium**, Star House, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051 to transact the following **special business**:

1. To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as a Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/ or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 [SEBI (ICDR) Regulations] and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot upto 4,63,60,686 equity shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹ 215.70 per share including premium of ₹ 205.70 per equity share as determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations aggregating upto ₹ 1000 Crore on preferential basis to Government of India (President of India).”

“RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is **1st November, 2013.**”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/ granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairperson and Managing Director or Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

2. To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as a Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of

India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/ or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 SEBI (ICDR Regulations)/ guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/ or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/ prospectus or such other document, in India or abroad, upto **5 crore** equity shares of the face value of ₹ 10 each at issue price including premium determined in accordance with applicable laws, in such a manner that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations/ guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Qualified Institutions Placement (QIP), Public Issue, Rights Issue, Global Depository Receipt (GDR) or such other issue which may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and/ or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines to issue such securities to investors, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity

Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement, as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at the time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations”.

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to QIBs within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution”.

“RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations”.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/ granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board”.

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares, if any, to NRIs, FIIs and/ or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act”.

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 as amended and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration”.

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board” .

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrars, Auditors and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity/ preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies”.

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/ or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit”.

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares/ securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairperson and Managing Director or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

By order of the Board

Sd/-

(MRS. V. R. IYER)

Chairperson & Managing Director

Place : Mumbai

Date : 31.10.2013

Notes:

1. A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER. PROXY FORMS IN ORDER TO BE VALID AND EFFECTIVE MUST BE DELIVERED AT THE HEAD OFFICE OF THE BANK ON OR BEFORE THE CLOSING HOURS OF 4.30 P.M. ON THURSDAY, 28TH NOVEMBER, 2013.
2. No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank on or before the closing hours of 4.30 P.M. on Thursday, 28TH November, 2013.
3. For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.
4. The explanatory statements are annexed hereto.
5. The shareholders are requested to write to the Bank or to the Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Sharepro Services India Pvt. Ltd. regarding transfer of shares and for resolving grievances at the below address:

The Company Secretary
Bank of India, Head Office,
Star House, C – 5, 'G' Block
8th Floor, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051.
Phone: 66684444.
Email: headoffice.share@bankofindia.co.in
Website: www.bankofindia.co.in

Bank's Registrar and Share Transfer Agents:
M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.,
Unit : Bank of India
13 AB Samhita Warehousing Complex
Off. Andheri Kurla Road, Sakinaka Telephone Exchange Lane
Sakinaka, Andheri East, Mumbai 400 072
Tel. : 22-67720300/67720400 Fax : 22-28591568
Email: boi@shareproservices.com

EXPLANATORY STATEMENT

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII of SEBI ICDR Regulations.

Item number 1:

1. The Bank is in the business of the banking and its related activities. At present, the Authorised Capital of the Bank is ₹ 3000 crore and the Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on date is ₹ 595.90 Crore.
2. Presently, the shareholding of Government of India in our Bank is ₹ 382.01Crore, which constitute 64.11% of total paid-up capital of the Bank.

The Capital fund to Risk Weighted Assets as on 30th September, 2013 is as under:

Particulars	Amount ₹ in Crore	% of capital funds to risk weighted asset Bales - III
Risk Weighted Assets	3,02,254	—
Common Equity Capital	21,625	7.15%
Tier-I Capital	23,438	7.75%
Tier-II Capital	9,126	3.02%
Total Capital	32,564	10.77%

3. The Bank is growing at a rapid pace at an average growth rate of 19% over the last many years. In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purposes as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds by way of Preferential Issue of equity shares in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009 and as amended upto date to Government of India.
4. The present resolution is proposed to be passed in order to enable the Board of Directors of the Bank to make the above-mentioned preferential issue and allotment.

5. **Objects of the proposed Preferential Issue:**

With a view to comply with BASEL (II & III) requirements relating to capital adequacy, there is an ever increasing need to raise capital. Government of India proposes to infuse additional equity capital into the Bank to strengthen the government owned financial institutions and banks. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

6. **Proposal of the Promoters/ Directors/ Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer:**

None of the Director or Key Management Persons other than the Promoter of the Bank i.e. Government of India intends to subscribe to the offer of equity shares.

7. Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:

Sr. No.	Name of Shareholders	Pre-allotment No. of shares As on (30 th October, 2013)	% of pre-allotment Paid Up Capital	Post allotment in terms of No. of Shares (approx)	% of Post-allotment Paid Up Capital
1.	Promoter Group The President of India	38,20,06,827	64.11	42,83,67,513	66.70
2.	Public	21,38,95,500	35.89	21,38,95,500	33.30
3	Total	59,59,02,327	100.00	64,22,63,013	100.00

8. The timeline within which the preferential issue shall be completed:

The Bank endeavours to complete the Issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

9. The Pre and Post Issue shareholding of President of India is as under:-

President of India	No. of equity shares	Percentage to Capital
Pre-Issue	38,20,05,827	64.11
Post-Issue	42,83,67,513	66.70

(a) Government of India vide their letter dated 22nd October 2013 communicated its intention to infuse capital to the extent of ₹ 1000 crore (₹ One Thousand Crores Only) as preferential equity in the Bank in favour of the Government of India (President of India).

(b) Government of India, being Promoters of the Bank will continue to vests their control over the Bank and there will not be any change in the management / control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.

10. Pricing of the proposed Preferential Issue:

The Issue Price will be determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations as amended upto date.

11. Certification from Statutory Auditors:

M/s. Isaac & Suresh, Chartered Accountants, Statutory Auditors of the Bank, have certified that the issue of shares is being made in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. A copy of the said certificate will be available at the Extraordinary General Meeting on 3rd December, 2013.

12. Lock-in period:

(a) As per SEBI Guidelines for Preferential Issues, the shares proposed to be issued on preferential basis to the Promoters i.e. Government of India and shall be subject to a lock-in of three years from the date of trading approval.

(b) The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval granted by the stock exchange.

13. Compliance:

- (a) The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- (b) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- (c) Clause 23 of the Listing Agreements executed by the Bank with the various stock exchanges in India where the Bank's Equity Shares are listed, provide *inter-alia* that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Shares other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 72 of the SEBI-ICDR Regulations 2009.

14. Undertakings:

- (a) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.
- (b) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

Your Directors recommend, the Special Resolution as set out in Item no. 1 of the Notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank

Item number 2:

- 1. The Resolution at item No. 2 seeks to enable the Bank to offer issue and allot equity shares by way of Public Issue, Rights Issue, Global Depository Receipt or through Qualified Institutional Placement and/or on a private placement basis. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.
- 2. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under SEBI - ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made only at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date".

"Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

- 3. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.

As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR

Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

4. For reasons aforesaid, an enabling resolution is proposed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.
5. The equity shares issued, shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.
6. For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution.

Your Directors recommend the resolution as set out in Item no. 2 of the Notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

By order of the Board

Sd/-

(MRS. V. R. IYER)

Chairperson & Managing Director

Place : Mumbai

Date : 31.10.2013

प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

फोलियो नं. _____
(यदि डीमेट न किया गया हो)

डीपी आईडी नं. _____
ग्राहक आई डी नं. _____
(यदि डीमेट किया गया हो)

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)

मैं/हम _____ निवासी _____ जिला _____
राज्य _____ बैंक ऑफ़ इंडिया का/के शेयरधारक हूँ/ हैं और मैं/हम एतद्वारा
श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____
को या उनके न होने पर श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____

राज्य _____ को मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से मंगलवार दिनांक 03 दिसंबर, 2013 को आयोजित बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बैठकमें और संबंधित बैठक के स्थगन की स्थिति में मतदान के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

माह _____ की _____ 2013 को हस्ताक्षरित।

परोक्षी के हस्ताक्षर _____

नाम: _____

पता: _____

रसीदी टिकट

प्रथम /एकमात्र शेयर धारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

- कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह,
क. एकमात्र शेयरधारक व्यक्ति के मामले में शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
ख. संयुक्त धारकों के मामले में यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हों।
ग. निगमित निकाय के मामले में लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अधिकारी या अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
- परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए किन्तु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उनके अंगूठे का निशान वहां लगा है तो वह निशान न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित (अटेस्टेड) होना चाहिए।
- कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर विधिवत रसीदी टिकट न लगा हो और उसे निम्नलिखित पते पर वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले जमा नहीं कराया गया हो। उसके साथ उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी की प्रति या अन्य प्राधिकार जिसे नोटरी अथवा न्यायधीश ने सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, को बैंक में निम्न पते पर पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो।
बैंक ऑफ़ इंडिया, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, 8 वीं मंजिल, स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
- बैंक के पास जमा की गयी परोक्षी की लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
- विकल्प में दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त परोक्षी की लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- परोक्षी की लिखत को निष्पादित करने वाले शेयरधारक वार्षिक असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
- किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ़ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।



Head Office: Star House, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Folio No. _____
(if not dematerialised)

DP ID No. _____
Client ID No. _____
(if dematerialised)

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

I/We, _____ resident of _____
in the district of _____ in the state of _____
being a shareholder/shareholders of Bank of India, hereby appoint Shri/Smt _____
_____ resident of _____ in the district of _____
_____ in the state of _____ or failing him/
her Shri/Smt. _____ resident of _____
in the district of _____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on
my/our behalf at the Meeting of the shareholders of Bank of India to be held on Tuesday, 3rd December, 2013 and at any
adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2013.

Signature of Proxy _____

Name _____

Address _____

Revenue
Stamp

Signature of first named/sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by his/her attorney, duly authorised in writing.
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of India.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank at
Bank of India, Share Department Head Office, 8th Floor Star House, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or employee of the Bank.



प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

असाधारण आम बैठक हेतु उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र

दिनांक: 03 दिसंबर 2013, समय: प्रातः 11.00 बजे

बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

पन्ना क्र./ग्राहक आईडी नं.

शेयरों की संख्या

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर



प्रवेश पत्र

पन्ना क्र./ग्राहक आईडी नं.

क्रम संख्या

शेयरों की संख्या

बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/परोक्षियों अथवा प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र को विधिवत हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला भाग शेयरधारकों/ परोक्षियों/ प्रतिनिधियों को लौटा दिया जायेगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर भी यदि आवश्यक समझा गया तो प्रवेश के बारे में फिर से सत्यापन/जांच की जा सकती है। किसी भी हालत में बैठक हॉल में प्रवेश के लिए उपस्थिति पत्र की कोई दूसरी प्रति जारी नहीं की जायेगी।

पश्चलेख : बैठक के दौरान कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जायेंगे।



HEAD OFFICE: Star House, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.

ATTENDANCE SLIP – CUM - ENTRY PASS FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date: 3rd December, 2013, Time 11.00 AM

Bank of India Auditorium, Star House, 'C' 5 G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400 051

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry)

Folio No./ Client ID No.:

No. of Shares

Signature of the shareholder / proxy /
Representative present



ENTRY PASS

Folio No./ Client ID No

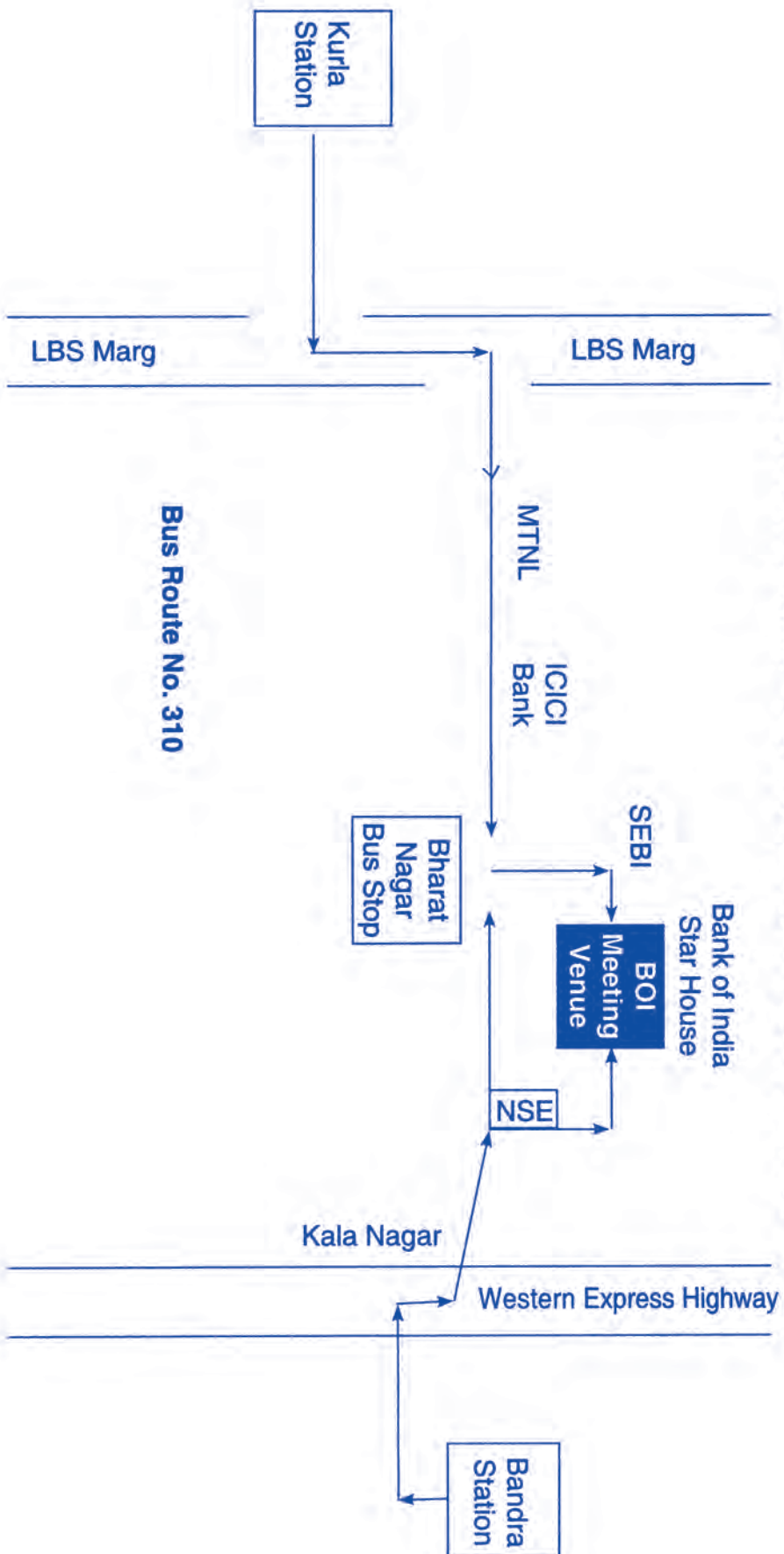
Serial No.

No. of Shares

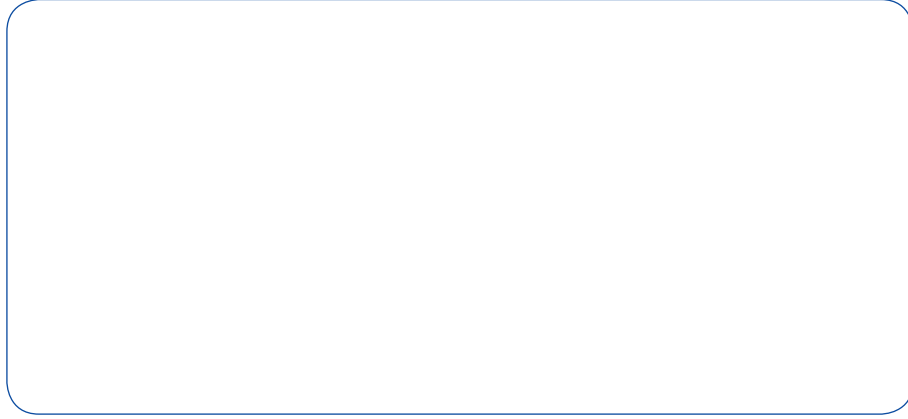
Share holders/proxy holders or representatives are requested to produce this attendance slip – cum – entry pass, duly signed, for admission to the meeting hall. The entry pass portion will be handed back to the shareholders/ proxy holders/ representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/ checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip-cum-entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

P.S. No gifts / gift coupons will be distributed at the meeting.

GUIDING MAP FOR THE MEETING VENUE



बुक - पोस्ट
Book - Post



सुपुर्द न होने पर कृपया लौटाएं :

मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेस इंडिया प्रा.लि.
यूनिट: बैंक ऑफ इंडिया,
13 ए बी संहिता वेअरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स
ऑफ अंधेरी कुर्ला रोड,
साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज लेन,
साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 072.

If undelivered, please return to :

M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.
Unit: Bank of India
13 AB Samhita Warehousing Complex,
Off. Andheri Kurla Road,
Sakinaka Telephone Exchange Lane,
Sakinaka, Andheri (East),
Mumbai - 400 072.